उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–13/2018–19

कृष्णकांत पाण्डेय वगैरह

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक

21/10/19

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपीलवाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता कृष्णकांत पाण्डेय वो सुधीर पाण्डेय वो रोहित कुमार पेसरान–स्व0 कैलाशपति पाण्डेय वो सीता देवी पिता–स्व0 कैलाशपति पाण्डेय सा0–कौड़ीबहियार जिला गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्तागण ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के मिस0 केश नं0–5/2018–19 आदेश दिनांक–07.01.2019 के विरूद्ध अपीलवाद दायर किया है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा ने मिस0 केश नं0–5/2018–19 आदेश दिनांक–07.01.2019 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोवस्ती वाद सं0–61 ए0/1968–69 के द्वारा कैलाशपति पाण्डेय के साथ मौजा कौड़ीबहियार माल थाना न0–509/510 गैरमजरूआ खाता नं–96 दाग नं0–1040 रकवा 5–00–00 धुर जमीन की बंदोवस्ती को समाप्त किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोवस्ती केश नं0–61 ए0/1968–69 के द्वारा मौजा कौड़ीबहियार माल नं0–508 के दाग नं0–1040 रकवा 5–00–00 धुर जमीन अपीलकर्त्तागण के पिता कैलाशपति पाण्डेय के साथ सैनिक के आधार पर बंदोवस्ती की गयी थी। बंदोवस्ती से जमीन मिलने के बाद अपीलकर्त्ता के पिता बंदोवस्त जमीन पर दखलकार हुए एवं उस जमीन पर वे खेती कार्य करने लगे तथा उनका नाम पंजी–2 में भी दर्ज किया गया एवं उक्त बंदोवस्ती जमीन का मालगुजारी रसीद बंदोवस्तदार के नाम से शुरू किया गया है। उनका आगे कथन है कि वर्तमान चल रहे तसदीक सर्वे में भी बंदोवस्तदार कैलाशपति पाण्डेय का नाम दर्ज करके पर्चा निर्गत किया गया। लम्बे अंतराल के बाद अंचल अधिकारी, गोड्डा ने दिनांक–16.11.2018 को एक नोटिश जारी किया गया कि जो मौजा कौड़ीबहियार के गैरमजरूआ खाता न0–96 दाग नं0–1040 रकवा 5–00–00 धुर जमीन की बंदोवस्ती अपीलकर्त्ता के पक्ष में किया है, वह सरकारी परिपत्र नं0–6144 दिनांक–21.

12.2017 के खण्ड 3 के अनुरूप नहीं था। नोटिश के द्वारा अपीलकर्त्तागण को कागजात दाखिल करने के लिए कहा गया। अपीलकर्त्तागण उपस्थित होकर अपना पक्ष रखते हुए बंदोवस्ती से सम्बंधित कागजात दाखिल किया गया एवं अपीलकर्त्तागण क द्वारा अनुरोध किया कि कैलाशपति पाण्डेय के साथ की बंदोवस्ती अवैध नहीं है तथा अपीलकर्त्तागण उक्त जमीन पर लम्बे समय से दखलकार है। इसलिए अपीलकर्त्तागण के साथ की बंदोवस्ती को बरकरार रखा जाय। लेकिन अंचल अधिकारी, गोड्डा के अपीलकर्त्तागण के द्वारा प्रस्तुत विनुओं पर विचार किये बिना ही उक्त बंदोवस्ती को रद्ध करने के लिए अनुशंसा किया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के द्वारा अपीलकर्त्तागण को सुना नहीं गया। सिर्फ अंचल अधिकारी, गोड्डा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उक्त बंदोवस्ती को रद्ध किया है। जबकि सक्षम पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा अपीलकर्त्तागण के पिता के साथ उक्त जमीन की बंदोवस्ती वर्ष 1970 ई0 में की गयी थी। वाद में अपीलकर्त्तागण के पिता के द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है। लेकिन अपीलकर्त्तागण के पिता को आवेदक के रूप में दिखाया गया। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्तागण के पिता सैनिक थे और सैनिक के आधार पर ही उनके साथ उक्त जमीन की बंदोवस्ती की गयी थी। सरकार द्वारा पत्रांक–5/एस0 भी0 यू0 मिस0 156/16 के द्वारा पत्र जारी किया गया है एवं उक्त पत्र के द्वारा सभी माननीय आयुक्त एवं सभी विद्वान उपायुक्त को अनियमित बंदोवस्ती को नियमित करने के लिए निर्देश दिया गया है। उक्त पत्र के द्वारा स्थापित जमाबंदी को रद्ध करने के लिए निर्देश नहीं दिया गया है। बल्कि अनियमित बंदोवस्ती को नियमित करने के लिए निर्देश दिया गया है। लेकिन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के द्वारा 50 वर्षों से स्थापित बंदोवस्ती को रद्ध किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

इस सम्बंध में विज्ञ सहायक सरकारी वकील का मंतव्य प्राप्त है। विज्ञ सहायक सरकारी वकील का मंतव्य है कि झारखण्ड सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार के सचिव द्वारा जारी परिपत्र सं0–6144 दिनांक–21.07.2017 एवं परिपत्र सं0–ए0 जी0 एल0 1–64–1551 आर0 दिनांक–23.02.1964 के खण्ड 3 के अनुरूप मौजा कौड़ीबहियार माल नं0–509/510 के गैरमजरूआ खाता नं0–96 दाग नं0–1040 के अन्दर रकवा 05–00–00 धुर जमीन की बंदोवस्ती अपीलकर्त्तागण के पिता के साथ नहीं होने के कारण भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के द्वारा बंदोवस्ती को रद्ध किया गया है। विज्ञ सरकारी

सहायक वकील का आगे मंतव्य है कि अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन खारिज होने योग्य है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विज्ञ सहायक सरकारी वकील के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा कौड़ीबहियार माल नं0–509/510 गैरमजरूआ खाता नं0–96 दाग नं0–1040 कुल रकवा 09–01–07 धुर जमीन किस्म परती कदीम का अंश रकवा 05–00–00 धुर जमीन सैनिक के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोवस्ती केश नं0–61 ए0/1968–69 के द्वारा अपीलकर्त्तागण के पिता को वर्ष 1970 ई0 में बंदोवस्ती की गई। लेकिन अपीलकर्त्ता के द्वारा वर्ष 1970 से बहुत बाद वर्ष 2004–05, 2014–15 एवं 2010–11 का लगान रसीद का छायाप्रति दाखिल किया गया है। अपीलकर्त्ता के द्वारा वर्ष 1970 से बाद 5 वर्ष तक का कोई भी लगान रसीद नहीं दाखिल किया गया है। इससे अपीलकर्त्तागण का उक्त जमीन पर दखल भी प्रमाणित नहीं होता है। साथ ही विज्ञ सहायक सरकारी वकील का मंतव्य है कि राजस्व विभागीय परिपत्र सं0 ए0 जी0 एल0 1–64–1551 आर0 दिनांक–23.02.1964 एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधान विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प सं0–6144 दिनांक–21.12.2017 कंडिका–3 में वर्णित नियम के अनुरूप उक्त बंदोवस्ती नहीं की गयी है। यह भी स्पष्ट है कि नियमानुसार सैनिक के साथ जमीन की बंदोवस्ती की शक्ति जिला के समाहर्त्ता को प्रदत्त है। लेकिन अपीलकर्त्तागण के पिता के साथ उक्त जमीन की बंदोवस्ती अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा की गई है एवं उसी बंदोवस्ती के आधार पर जमाबंदी कायम किया गया है, जो नियम संगत प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के विविध वाद सं0–05/2018–19 में दिनांक–07.01.2019 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है। अंचल अधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि बंदोवस्तधार के नाम से पंजी–2 में कायम जमाबंदी को निरस्त करें एवं पंजी–2 में सुधार करते हुए सुधार संबंधित प्रतिवेदन न्यायालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। हाल तसदीक सर्वे में सुधार हेतु आदेश की प्रति बंदोवस्त पदाधिकारी, दुमका को भी दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:23:28 +05:30
Location: 192.168.29.8